समक्ष अध्यक्ष- मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल ﴾म• प्र•﴿

प्र• क्र• ----------/2015

झनकसिंह पुत्र मुंशीलाल उम्र 45 साल

निवासी ग्राम झरखेड़ा- दोराहा जोड़

तहसील श्यामपुर जिला सीहोर -------------- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1-लक्ष्मण बजाज पुत्र आसरदास बजाज

सैक्रेट्री संस्था गिरधरानन्द देव आश्रम परम हंस जी

संत आश्रम निवासी विट्ठल नगर लालघाटी

भोपाल हालनिवासी मकान नंबर 12 मुर्गी बाजार

शाहजहानाबाद भोपाल ﴾म• प्र•﴿

2-गुलाबसिंह पुत्र मुंशीलाल जाटव वयस्क

3-फूलसिंह पुत्र मुंशीलाल -जाटव वयस्क।

कृ•2 व 3 निवासी ग्राम झरखेड़ा-दोराहा जोड़

तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ﴾म• प्र•﴿---------- रेस्पान्डेन्टस.

6.15 गुराधिस द्वारा एक भोपाल को प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2115 –पीबीआर/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/7/15	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–5–15, 29–5–15 एवं 19–6–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमतः आवेदक की ओर से तहसीलदार के द्वारा पारित तीनों अंतरिम आदेशों के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि विधिसंगत नहीं है । आवेदक को तहसीलदार द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध समय समय पर पृथक–पृथक निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये थी । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–5–15 की आदेशिका में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । दिनांक 29–5–15 की आदेशिका को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति अनावेदकगण के अभिभाषक को दी गई है और उभयपक्ष को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें भी कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इसी प्रकार दिनांक 19–6–15 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक फूलसिंह द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति एवं दस्तावेज आवेदक अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाकर उभयपक्ष को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें भी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने एवं प्री–मेच्योर होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	